अध्याय - 7

मानव संसाधन

अध्याय 7: मानव संसाधन

स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा और देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में अभिप्रेरित, सशक्त, प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सेवाओं में मानव संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

7.1 आयुर्वेद सेवा निदेशालय के अंतर्गत मानव संसाधन

आयुर्वेद सेवा निदेशालय के अंतर्गत समूह क, ख, ग और घ सेवाओं के अधीन कार्यरत मानव संसाधनों की स्थिति नीचे **तालिका-10** में दी गई है:

तालिका 10: आयुर्वेद सेवा निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण:

समूह	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
क	552	156	396 (71.74)
ख	4187	2401	1786 (42. 66)
ग	3719	2037	1682 (45.23)
घ	5472	3793	1679 (30.68)
कुल	**13930**	**8387**	**5543 (39.79)**

(स्रोत: निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं द्वारा प्रस्तुत सूचना)

समूह क, ख और ग के अन्तर्गत कुछ प्रमुख पदों की कमी **तालिका-11** में दी गई है:

तालिका 11: आयुर्वेद सेवा निदेशालय के अंतर्गत प्रमुख पदों के सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रमांक	समूह	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1	**क**	निदेशक	2	0	2 (100)
2		क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	56	34	22 (38)
3		प्रधानाचार्य	8	2	6 (75)
4		प्रोफेसर	108	43	65 (60)
5		रीडर	128	73	55 (43)
6	**ख**	मेडिकल ऑफिसर (आयुर्वेद)	2224	1479	745 (33)

क्रमांक	समूह	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
7		लेक्चरर	279	112	167 (60)
8	ग	चीफ फार्मासिस्ट	156	18	138 (88)
9		सिस्टर	94	0	94 (100)
10		स्टाफ नर्स	479	287	192 (40)
11		फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	2100	1118	982 (47)

(स्रोत: निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं द्वारा प्रस्तुत सूचना)

चयनित जिलों में नमूना जांच किये गये आयुर्वेद चिकित्सालयों और औषधालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले विनियमों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में स्नातक स्तर के लिए न्यूनतम 56 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों (अंशकालिक शिक्षकों सहित) का प्रावधान किया गया था। बांदा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में मात्र 46 कार्मिक पदस्थ (10 अतिरिक्त कार्मिक सहित[1]) थे, जिसके कारण 8 मेडिकल, 12 पैरामेडिकल व सहायक कर्मचारियों[2] की कमी थी। मेडिकल कार्मिक में एक-एक उप चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल चिकित्सा विशेषज्ञ, सल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, हाउस ऑफिसर/क्लिनिकल रजिस्ट्रार, दो आपातकालीन चिकित्साधिकारी और पांच रेजिडेंट मेडिकल/सर्जिकल/ चिकित्साधिकारियों की कमी सम्मिलित थी।
- 8 चयनित जिलों में नमूना जांच किये गये 7 औषधालयों (आयुर्वेद) और चार/पंद्रह/पच्चीस शय्याओं वाले 25 चिकित्सालयों में 11 चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद) और 21 फार्मासिस्टों (आयुर्वेद) की कमी पाई गई।

मानव संसाधनों की कमी मुख्य रूप से पदों के पदोन्नति वाले पद होने, सीधी भर्ती वाले पद होने और चयन आयोगों में चयन प्रक्रिया के प्रगति में होने के कारण थी।

---

[1] चार वार्ड बॉय/आया, एक डार्करूम अटेंडेंट, दो चपरासी या अटेंडेंट और तीन कंसल्टेंट।

[2] अन्तःरोगी विभाग के लिए एक मेट्रन/नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, तीन नर्स, एक डेंटिस्ट, एक एक्स-रे टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर, एक फिजियोथेरेपिस्ट एक पंचकर्म नर्स, दो पंचकर्म सहायक, एक नर्स, दो कर्मचारी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि पदोन्नति लगातार प्रगति में है, रिक्त पदों के लिए अधियाचन चयन आयोगों को भेजा जा चुका है, कुछ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और आगे की नियुक्तियाँ प्रगति पर हैं। उत्तर लेखापरीक्षा के अभिमत की पुष्टि करता है।

7.2 यूनानी सेवा निदेशालय के अंतर्गत मानव संसाधन

समूह क, ख, ग और घ सेवाओं के अंतर्गत यूनानी सेवा निदेशालय के अधीन कार्यरत मानव संसाधनों की स्थिति नीचे **तालिका-12** में दी गई है:

तालिका 12: यूनानी सेवा निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण

समूह	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
क	77	37	40 (51.95)
ख	310	256	54 (17.42)
ग	427	213	214 (50.12)
घ	616	421	195 (31.66)
कुल	**1430**	**927**	**503 (35.17)**

(स्रोत: निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा प्रस्तुत सूचना)

क, ख और ग समूहों के अंतर्गत कुछ प्रमुख पदों की कमी **तालिका-13** में दी गयी है:

तालिका 13: यूनानी सेवा निदेशालय के अंतर्गत प्रमुख पदों के विरुद्ध स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण:

क्रमांक	समूह	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1	**क**	निदेशक	1	0	1 (100)
2		क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी	4	0	4 (100)
3		प्रधानाचार्य	2	1	1 (50)
4		प्रोफेसर	28	16	12 (43)
5		रीडर	34	19	15 (44)
6	**ख**	मेडिकल ऑफिसर (यूनानी)	264	232	32 (12)
7		लेक्चरर	45	24	21 (47)
8	**ग**	चीफ फार्मासिस्ट	10	2	8 (80)
9		फार्मासिस्ट (यूनानी)	264	114	150 (57)
10		स्टाफ नर्स	37	7	30 (81)

(स्रोत: निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा प्रस्तुत सूचना)

चयनित जिलों में नमूना जांच किये गये यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले विनियमों में राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों व चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम[3] 71 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालय, लखनऊ में 54 कार्मिक पदस्थ थे, जिसके कारण 17 पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों (19 अतिरिक्त कर्मचारियों को छोड़कर) की कमी थी।
- आठ चयनित जनपदों[4] में नमूना जांच किये गये तीन यूनानी औषधालयों और चार-शय्या वाले 16 यूनानी चिकित्सालयों में एक यूनानी चिकित्साधिकारी और 10 यूनानी फार्मासिस्टों की कमी पाई गई।

मानव संसाधन की कमी मुख्य रूप से भर्ती नियमों के नहीं होने, योग्य अभ्यर्थियों[5] की अनुपलब्धता और भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित किये जाने के कारण थी।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (जनवरी 2025)। यद्यपि, निदेशालय ने रिक्त पदों के कारणों को स्वीकार कर लिया (सितंबर 2024)।

7.3 होम्योपैथी सेवा निदेशालय के अंतर्गत मानव संसाधन

होम्योपैथी सेवा निदेशालय के अधीन समूह क, ख, ग और घ सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों की स्थिति **तालिका-14** में दी गई है:

तालिका 14: होम्योपैथी सेवा निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण:

समूह	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
क	769	387	382(49.67)
ख	1487	1255	232(15.60)
ग	1896	962	934(49.26)
घ	2610	2589	21(0.80)
कुल	**6762**	**5193**	**1569(23.20)**

(स्रोत: निदेशक, होम्योपैथी सेवायें द्वारा प्रस्तुत सूचना)

[3] अंशकालिक शिक्षक सम्मिलित हैं।

[4] झांसी जनपद में कोई यूनानी औषधालय/चिकित्सालय नहीं था।

[5] निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक और औषधि निरीक्षक।

क, ख और ग समूहों के अंतर्गत कुछ प्रमुख पदों की कमी **तालिका-15** में दी गई है:

तालिका 15: होम्योपैथी सेवा निदेशालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख पदों से विरुद्ध स्वीकृत पदों की संख्या और उनके सापेक्ष कार्यरत कार्मिको की संख्या तथा कार्मिको की कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण:

क्रमांक	समूह	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1	**क**	अतिरिक्त निदेशक	1	0	1 (100)
2		जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	75	73	2 (3)
3		प्रधानाचार्य	9	1	8 (89)
4		प्रोफेसर	100	49	51 (51)
5		रीडर	138	64	74 (54)
6	**ख**	मेडिकल ऑफिसर (होम्योपैथी)	1182	1130	52 (4)
7		लेक्चरर	150	101	49 (33)
8	**ग**	फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)	1604	889	715 (45)
9		स्टाफ नर्स	69	0	69 (100)

(स्रोत: निदेशक, होम्योपैथी सेवाएं द्वारा प्रस्तुत सूचना)

चयनित जनपदों में नमूना जांच किये गए होम्योपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले नियमों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में न्यूनतम[6] 57 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, मुरादाबाद में केवल 13 कार्मिक पदस्थ थे; जिसके कारण 44 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कार्मिकों की कमी थी। इस कमी में एक चिकित्सा अधीक्षक, एक उप-चिकित्सा अधीक्षक, तीन चिकित्साधिकारी, एक रेजिडेंट चिकित्साधिकारी, एक सर्जन, एक जनरल फिजिशियन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक पैथोलॉजिस्ट, आठ हाउस फिजिशियन और 16 पैरामेडिकल और सहायक कार्मिक सम्मिलित थे। इसी प्रकार, राजकीय

[6] अंशकालिक शिक्षक सहित हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में 27 कार्मिक पदस्थ (पाँच अतिरिक्त हाउस फिजिशियन को छोड़कर) थे; जिसके कारण 30 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कार्मिकों की कमी थी। इस कमी में एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, एक डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, दो चिकित्साधिकारी, एक रेजिडेंट चिकित्साधिकारी, एक सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक पैथोलॉजिस्ट और 22 पैरामेडिकल और सहायक कार्मिक सम्मिलित थे।

- आठ चयनित जनपदों में नमूना जांच किये गये 16 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दो होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी और पाँच होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की कमी थी।

मानव संसाधन की कमी मुख्यतः पदों का नवीनीकरण नही होने[7], शैक्षिक योग्यता/नियुक्ति का स्रोत निर्धारित न होने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य के दो पदों की नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने इत्यादि के कारण थी।

शासन ने (जनवरी 2025) रिक्त पदों के लिए विस्तृत कारण नहीं बताये, बल्कि अवगत कराया गया कि पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर प्रगति में है, रिक्त पदों के लिए अधियाचन चयन आयोगों को भेज दिया गया है तथा नियुक्तियां हो गई हैं। यद्यपि निदेशालय ने पदों के रिक्त रहने के कारणों को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2024)।

7.4 राज्य आयुष सोसायटी के अंतर्गत मानव संसाधन

7.4.1 पचास शय्याओं वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय

राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देशों में 50 शय्याओं वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय में 21 प्रकार के पदों पर 69 मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों की तैनाती का प्रावधान है जिसमें, दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 4.3 में उल्लिखित क्रम संख्या 3 से 13 तक के पदों[8] पर संविदा के आधार पर और

[7] लैब टेक्नीशियन के 22 पद, प्रयोगशाला सहायक के 28 पद, रजिस्ट्रेशन क्लर्क के 14 पद, रेडियोग्राफर के 7 पद, टेलीफोन ऑपरेटर के 7 पद, रिसेप्शनिस्ट के 7 पद, स्टोर अधीक्षक के 7 पद, लाइब्रेरियन के 7 पद, एक्स-रे टेक्नीशियन के 2 पद और लाइब्रेरी अधीक्षक के 9 पद।

[8] चिकित्साधिकारी, आवासीय चिकित्साधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक मैट्रन, नर्सिंग स्टाफ, पंचकर्म तकनीशियन, योग प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर, प्रयोगशाला तकनीशियन, स्टोरकीपर/पंजीकरण क्लर्क।

चिकित्सालय अधीक्षक के एक पद और विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी के 3 पदों को छोड़कर शेष पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती किया जाना सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित मानदंड के सापेक्ष 11 क्रियाशील 50 शय्याओं वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों में 538 (71 प्रतिशत) मानव संसाधनों की कमी थी। कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी जनपदों में 50 शय्याओं वाले तीन एकीकृत आयुष चिकित्सालयों की नमूना जांच में पता चला कि वहां औसतन 53 प्रतिशत जनशक्ति की कमी थी। इस कमी में तीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सात चिकित्साधिकारी और 24 नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- यद्यपि दिशा-निर्देशों में संविदा[9] के आधार पर भर्ती किये जाने का प्रावधान था; राज्य आयुष सोसाइटी ने क्रम संख्या 3 से 13 तक के पदों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी[10] से प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों के सेवायोजन के दिशानिर्देशों से विचलन हुआ और दिसंबर 2021 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान क्रम संख्या 2[11] से 13 में उल्लिखित जनशक्ति की आपूर्ति पर सेवा शुल्क और जीएसटी की सकल धनराशि ₹ 4.83 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- अनुबंध का भाग बनने वाली 'स्वास्थ्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु अतिरिक्त नियम और शर्तें' आउटसोर्सिंग एजेंसी से सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और एक कर्मचारी के चयन के लिए पांच अभ्यर्थियों के नाम और दो या अधिक कर्मचारियों के चयन के लिए पदों की संख्या के तीन गुना नाम, न्यूनतम 10 नामों के अधीन, क्रेता विभाग द्वारा चयन के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान

---

[9] पुराने दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 2.1 (iv) और नए दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 2.1 (iv) में प्रावधान है कि जनशक्ति की तैनाती इस शर्त के अधीन होगी कि सभी नियुक्तियां संविदात्मक होंगी और केंद्र सरकार की देयता मिशन अवधि के लिए वेतन पर लागत के लिए स्वीकार्य केन्द्रांश की सीमा तक सीमित होगी।

[10] हंसराज इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल), लखनऊ

[11] यद्यपि, मिशन दिशानिर्देश क्रमांक 3 से 13 तक संविदा के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती और नियमित आधार पर चिकित्साधिकारी (पंचकर्म/क्षारसूत्र/होम्योपैथी/इलाज-बित-तदबीर/थोक्कनम) को निर्धारित आधार पर नियोजित करने का प्रावधान करते है।

करती हैं। तथापि, आउटसोर्सिंग एजेंसी ने क्रमशः तीन[12] (31 अभ्यर्थियों) और आठ[13] (105 अभ्यर्थियों) 50 शय्याओं वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों में तैनाती के लिए अभ्यर्थियों का स्वयं चयन कर उन की अंतिम सूची उपलब्ध[14] करा दी। पुनः आउटसोर्सिंग एजेंसी ने मनमाने[15] और अपारदर्शी[16] तरीके से साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया। इसके परिणामस्वरूप 136 अभ्यर्थियों का अनियमित चयन और भर्ती हुई।

शासन ने कहा (जनवरी/फरवरी 2025) कि नियुक्तियाँ सरकार की सहमति के बाद की गई थीं, और विभाग ने सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की यादृच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से सूची तैयार करने में भाग लिया था। उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विन्दुओ को संबोधित नहीं करता है।

7.4.2 योग कल्याण केंद्र और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशानिर्देश (सितंबर 2014) के फ्लेक्सीपूल क्रियाकलापों के अंतर्गत योग कल्याण केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। योग कल्याण केंद्र के संचालन के लिए जारी किए गए (जुलाई 2017) शासनादेश में प्रत्येक योग कल्याण केंद्र में एक योग प्रशिक्षक और एक योग सहायक की तैनाती का प्रावधान किया गया है। मिशन के दिशानिर्देशों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना और प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में एक पुरुष और एक महिला योग प्रशिक्षक की तैनाती किया जाना अपेक्षित था।

---

[12] कौशांबी, अमेठी और बरेली

[13] कानपुर नगर, कानपुर देहात, देवरिया, लखनऊ, सोनभद्र, वाराणसी, ललितपुर और संत कबीर नगर।

[14] पत्र दिनांक 22.11.2021 एवं 25.11.2021 द्वारा

[15] अभ्यर्थियों के चयन में मनमानी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची से स्पष्ट है, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न कारणों को दर्शाते हुए बार-बार, एकतरफा और मनमाने ढंग से बदला गया है, जैसे कि पिछली सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थी सेवाओं में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी कुछ घरेलू समस्याओं के कारण सम्मिलित नहीं हो रहे हैं आदि।

[16] चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) के चयन के लिए पात्रता मानदंड, जैसा कि तकनीकी समिति द्वारा तय किया गया, संबंधित चिकित्सा प्रणाली में स्नातक डिग्री के अलावा एमएस/एमडी डिग्री वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने का प्रावधान करता है। ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जो दर्शाता हो कि मास्टर डिग्री वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- भारत सरकार ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान 225 योग कल्याण केंद्रों की स्वीकृति दी, जिनमें से 224 योग कल्याण केंद्रों[17] को क्रियान्वित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उनमें 22 योग प्रशिक्षकों और 39 योग सहायकों की कमी थी (जनवरी 2025)।
- भारत सरकार ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उनमें 102 पुरुष योग प्रशिक्षकों और 196 महिला योग प्रशिक्षकों की कमी थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7.5 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का प्रशिक्षण

प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार करने तथा आयुर्वेद और योग के माध्यम से मधुमेह सहित सामान्य बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा)/सहायक नर्सिंग मिडवाइफओं हेतु कैस्केडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के लिए राज्य की वार्षिक कार्ययोजना में किए गए प्रस्तावों के सापेक्ष क्रमशः ₹ 15.00 करोड़, ₹ 2.93 करोड़ और ₹ 8.00 करोड़ (कुल: ₹ 25.93 करोड़) की स्वीकृति दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य की सभी आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आयोजित किया गया (अक्टूबर 2017)। तदनुसार, मार्च 2018, मई 2018 और जून 2018 में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें 55, 04 और 16 जिलों के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

- राज्य आयुष सोसाइटी ने निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, लखनऊ को ₹ 8.95 करोड़[18] इस निर्देश के साथ हस्तांतरित किए (मार्च 2018) कि

[17] एक योग कल्याण केंद्र को दोहराव के कारण चालू नहीं किया गया।

[18] प्रशिक्षुओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के आयोजन पर ₹ 4.00 लाख का व्यय अपेक्षित था, अतः जारी की गई राशि ₹ 8.99 करोड़ के सापेक्ष, राज्य आयुष सोसायटी द्वारा ₹ 4.00 लाख रख लिए गए।

मार्च 2018 के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ब्लॉक/जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों में उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाये। निदेशक ने सभी चिकित्साधिकारियों को लगातार पत्र[19] जारी किये; परन्तु उनमें से किसी की ओर से भी आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को प्रशिक्षित करने के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप धनराशि का उपयोग नहीं हो सका और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

- नई दिल्ली और लखनऊ में पूर्व प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर/प्रशिक्षकों का उपयोग करने के बजाय, उत्तर प्रदेश शासन ने (नवंबर 2019) श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को, जो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा परियोजनाओं[20] हेतु राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, को आयुर्वेद और योग के माध्यम से रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को प्रशिक्षण देने के लिए नामित कर दिया। श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड ने प्रशिक्षण के पहले (दिसंबर 2019 से जून 2020), दूसरे (सितंबर 2021 से दिसंबर 2021) और तीसरे (जून 2023) चरणों का आयोजन किया और क्रमशः 17, 19 और 21 (कुल: 57) जनपदों को आच्छादित किया, शेष 18 जनपदों को आच्छादित नहीं किया; और ₹ 40.25 करोड़ के स्वीकृत व्यय के सापेक्ष ₹ 24.15 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया।

उपर्युक्त विवरण से यह संकेत मिलता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उचित महत्व नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का आंशिक आच्छादन हुआ।

शासन ने कहा (जनवरी/फरवरी 2025) कि निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ ने सभी चिकित्साधिकारियों को लिखा कि वे चिकित्साधिकारी (आयुष)/चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य को मास्टर ट्रेनरों से प्रशिक्षित करवाएं ताकि आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को आगे प्रशिक्षण दिया जा सके; और चूंकि

---

[19] पत्र संख्या 409 (iii)/आ.मि./2018-19/योजना दिनांक 04.10.2018; संख्या 458 (ii)/370/2018-19/योजना दिनांक 05.12.2018; संख्या 552 (3)/आ.मि./2018-19/योजना दिनांक 06.12.2018; संख्या 01/370/आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ/2018-19/योजना दिनांक 04.01.2019।

[20] हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और अन्य संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन। उक्त प्रशिक्षण के आयोजन के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को नामित करने एवं दिल्ली और लखनऊ में पहले से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों और अन्य आयुर्वेद और योग विशेषज्ञों को शामिल नही करने के कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

चिकित्साधिकारियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए आशा/सहायक नर्सिंग मिडवाइफ को प्रशिक्षण देने का काम श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया; और अब प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उत्तर इंगित करता है कि मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि सृजित क्षमता का उपयोग अनुवर्ती प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण में नहीं किया गया और प्रशिक्षण को न तो चिकित्साधिकारी (आयुष)/चिकित्साधिकारी, सामुदायिक सवास्थ केन्द्रों द्वारा और न ही आयुर्वेद सेवाओं के निदेशालय द्वारा उचित महत्व दिया गया, क्योंकि कम से कम वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को तो प्रशिक्षित कर ही सकते थे।

संक्षेप में:, निदेशालयों और अधीनस्थ प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की पर्याप्त कमी थी, साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, औषधालयों में मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों जैसे चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद: 33 प्रतिशत, होम्योपैथी: 04 प्रतिशत, यूनानी: 12 प्रतिशत), मुख्य फार्मासिस्ट (आयुर्वेद: 88 प्रतिशत, यूनानी: 80 प्रतिशत), फार्मासिस्ट (आयुर्वेद: 47 प्रतिशत, होम्योपैथी: 45 प्रतिशत, यूनानी: 57 प्रतिशत) एवं स्टाफ नर्स (आयुर्वेद: 40 प्रतिशत, होम्योपैथी: 100 प्रतिशत, यूनानी: 81 प्रतिशत) की कमी थी। 11 क्रियाशील पचास शय्याओं वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालयों में निर्धारित मानदंड के विरुद्ध 538 (71 प्रतिशत) मानव संसाधनों की कमी थी। कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी जिलों में पचास शय्याओं वाले तीन एकीकृत आयुष चिकित्सालयों की नमूना जांच से पता चला कि औसतन 53 प्रतिशत जनशक्ति की कमी थी। इन कमियों में तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सात चिकित्सा अधिकारियों व 24 नर्सिंग कर्मचारी सम्मिलित थे। मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना और साथ ही प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में एक पुरुष और एक महिला योग प्रशिक्षकों की तैनाती अपेक्षित थी। भारत सरकार ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि में 871 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को स्वीकृति दी थी। इनमें 102 पुरुष योग प्रशिक्षकों (12 प्रतिशत) और 196 महिला योग प्रशिक्षकों (26 प्रतिशत) की कमी थी। इसके अतरिक्त, 224 योग कल्याण केंद्रों में 22 योग प्रशिक्षकों (10 प्रतिशत) और 39 योग सहायकों (17 प्रतिशत) की कमी थी।

अनुशंसा 12: सभी रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से चिकित्सालयों और औषधालयों में, ताकि जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सके।

अनुशंसा 13: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और योग कल्याण केंद्रों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने में शीघ्रता लायी जानी चाहिए, ताकि ये केंद्र ईष्टतम क्षमता के साथ चल सकें।

अनुशंसा 14: मानव संसाधनों के प्रशिक्षण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।